माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जितने जन औषधि केंद्र खुले हैं, वहां सस्ती दर पर गरीबों को दवाएं वितरित करनी चाहिए और वहां दवाएं उपलब्ध भी होनी चाहिए। वहां दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां से एलोपैथिक दवाएं, अंग्रेजी दवाएं बिकती हैं और बिक रही हैं। सस्ती दर पर जेनेरिक दवा उपलब्ध कराई जाए। आपके माध्यम से मेरा सरकार से यही अनुरोध है, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour mention raised by Shri Ram Nath Thakur: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shri Sujeet Kumar (Odisha) and Dr. John Brittas (Kerala).

Concern over adulteration in food items

श्री विजय पाल सिंह तोमर (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, आज शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलने मुश्किल हो गए हैं। 25 परसेंट से लेकर 80 परसेंट तक adulteration हो रहा है। दूध, सब्ज़ियां, खाने-पीने की चीज़ें, हर चीज़ में adulteration है। मान्यवर, दूध में अरारोट, सपरेटा पाउडर मिलाना और नकली मावा बनाना आम बात हो गई है। उबले आलू, शकरकंद और सपरेटा का खोया बनाया जाता है। मसालों सहित आटा, अनाज, दवाइयां सभी में मिलावट है। घी के नाम पर वनस्पति, मक्खन में मिलावट, आटे में सेलखड़ी, पिसी हुई पाउडर, हल्दी में पीली मिट्टी, काली मिर्च में पपीते के बीज, कटी हुई सुपारी, छुआरे की गुठलियां मिलाना आम बात हो गई है। इनमें इतनी मिलावट हो गई है कि इससे व्यापक बीमारियां फैल रही हैं। सिंथेटिक दूध आता है, मिलावटी दूध मिलता है, बच्चों में ऐसा दूध पीने की वजह से बचपन से ही तरह-तरह की बीमारियां हो रही हैं, जो डॉक्टर्स को भी पता नहीं चल पा रही हैं। मैं अपने क्षेत्र के एक गांव में गया, वहां 40 से अधिक लोग मर गए, डॉक्टर्स सही दवा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल पाता है कि बीमारी ने भयंकर रूप ले लिया है। मान्यवर, मिलावट करने वालों को ऐसी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे आगे इस तरह के कार्य न हों।

(MR. CHAIRMAN *in the Chair*.)

मान्यवर, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि मिलावट करने वाले नम्बर दो से पैसा कमा लेते हैं, अगर वे पैसे वाले हैं, तो समाज में भी वे सम्मान पा जाते हैं और बड़े पैमाने पर हर जगह जिस भी ब्रांड की चीज़ चाहिए, वह उपलब्ध हो जाती है। किसी भी ब्रांड का घी हो, किसी भी ब्रांड का दूध हो और किसी भी ब्रांड की कोई भी चीज़ हो, वे सब उपलब्ध हो जाती हैं। मान्यवर, जो PFA ACT, 1954 बना हुआ है, वह जहरीले एवं हानिकारक खाद्य पदार्थों से जनता की रक्षा करता है। ...(**समय की घंटी**)... महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इसके लिए कड़े कानून बनने चाहिए, ताकि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिल सके।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Vijay Pal Singh Tomar: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shri Sujeet Kumar (Odisha); and Dr. John Brittas (Kerala).

Now, Question Hour.

12.00 **Noon**

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Beneficiaries under PM-Kisan

*61. DR. SASMIT PATRA: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) the number of beneficiaries under the PM-KISAN Yojana, State-wise;
(b) the number of beneficiaries under PM-KISAN in Odisha, district-wise;
(c) whether Government is planning to include agricultural laborers to receive benefits under the scheme; and
(d) the initiatives of Government to ensure the integration of all eligible farmers in the scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI KAILASH CHOUDHARY): (a) to (d) A Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) and (b) The PM-KISAN scheme is a central sector scheme launched in February 2019 by the Hon'ble Prime Minister to supplement the financial needs of land-holding farmers. Under this scheme, the financial benefit of Rs 6,000/- per year in three equal instalments every four months is transferred into the bank accounts of farmers' families across the country through Direct Benefit Transfer (DBT) mode. The PM-KISAN scheme is one of the largest DBT Schemes of the World.

A farmer-centric digital infrastructure has ensured the benefits of the scheme reach all the farmers across the country without any involvement of the middlemen. Maintaining absolute transparency in registering and verifying beneficiaries, the